

निविदा प्रपत्र

क्रमांक:—

निविदा प्रपत्रा का मूल्य: रु0 200बिक्री कर रु027= रु0 227.00
कार्यालय: सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर
(नैनीताल)

निविदा संख्या:— 001/उ0वि0शि0प0/ सिस्टम सेल /2011—12 दिनांक
 23—07—2011

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की वर्ष 2012 की परीक्षाओं/पूरक परीक्षाओं के डाटा प्रोसेसिंग, फोटो स्कैनिंग तथा प्रमाण-पत्रों पर फोटो प्रिंटिंग एवं संकलन-6 तैयार करने के कार्य को यांत्रिक प्रणाली कम्प्यूटर द्वारा संपादित किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा संचालित वर्ष 2012 की परीक्षाओं के लगभग 3.00 लाख परीक्षार्थियों के परीक्षा पूर्व एवं परीक्षोत्तर कार्यों को यांत्रिक/कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा संपादित किये जाने हेतु डाटा प्रोसेसिंग की सुविधाओं वाली ऐसी कम्प्यूटर फर्मों से निविदाएं प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की जाती है जो अत्यधिक मात्रा में परिषद से प्रेषित किये जाने वाले परीक्षार्थियों के अभिलेखों को ग्रहण करने के साथ ही प्रोसेसिंग के पश्चात समान मात्रा में अभिलेखों एवं रिपोर्टों को यथा निर्देशित मुद्रित कर निश्चित समय में परिषद कार्यालय को पहुंचाने में सक्षम हो। यह कार्य एक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जो आवश्यकतानुसार सदैव परिवर्तनीय है, सम्पादित किये जाते हैं। निविदादाता/ग्राहक की ओर से किसी भी आकस्मिकता अथवा कम्प्यूटर की असफलता के कारण कार्यभार बढ़ जाने की स्थिति में भी यंत्रीकरण कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत ही सम्पन्न करना पड़ता है। इस सार्वजनिक परीक्षा के परीक्षाफल का प्रकाशन तथा संकलन-6 तैयार करने का कार्य समयबद्ध होता है जो निर्धारित तिथि पर ही सम्पादित करना आवश्यक है। अतः ऐसी ही फर्में निविदा प्रेषित करें जो निविदा की शर्तों का पूर्णतया पालन करते हुये किसी भी आकस्मिकता एवं कठिन समस्याओं में भी सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित करने में सक्षम हो। सम्बन्धित यंत्रीकरण कार्यों का विवरण एवं शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्र के अन्त में अंकित है।

निविदा का प्रपत्र:-

(तकनीकी भाग)

क:- निविदादाता के यान्त्रिक संगठन का विवरण :-

- 1:- कम्प्यूटर फर्म का नाम एवं पूर्ण पता ।
- 2:- फर्म की स्थापना का वर्ष/माह ।
- 3:- संगठन का प्रकार वैयक्तिक/पार्टनरशिप/प्राइवेट या पब्लिक संस्था आदि ।
- 4:- संगठन/कम्पनी का स्वामित्व प्रमाण-पत्र तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।
- 5:- गत वर्ष का कुल टर्नओवर तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्य का टर्न ओवर ।
- 6:- यदि संगठन कम्पनी है तो उसका पेडअप कैपिटल ।
- 7:- गत वर्ष अर्जित लाभ ।
- 8:- आयकर अदायगी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये ।
- 9:- सेवाकर अदायगी का प्रमाण-पत्र ।
- 10:- संगठन का मुख्य व्यवसाय ।
- 11:- संगठन का दूरभाष/ई मेल/इन्टरनेट सुविधा है अथवा नहीं ।

ख:- यान्त्रिक संगठन में जन शक्ति एवं आवश्यकता पूर्ति का साधन :-

- | | |
|---|----------------|
| 1:- सिस्टम अनालिस्ट की संख्या 1. रेगुलर- | 2. पार्ट टाइम- |
| 2:- कम्प्यूटर प्रोग्रामर की संख्या 1. रेगुलर- | 2. पार्ट टाइम- |

3:- आकस्मिकताओं की स्थिति में क्या संस्था अपने स्वयं के साधनों से परीक्षा कार्यो को सम्पादित करने में सक्षम है ।

अथवा

क्या वह परीक्षा अभिलेखों को अन्य संस्थाओं को देकर कार्य सम्पादित करायेगी?

वहाँ कितने सिस्टम अनालिस्ट व प्रोग्रामर उपलब्ध हो सकेंगे ?

4:- संस्था के अन्दर कम्प्यूटर हार्डवेयर सुविधाएं :-

- 1:- मेक या मॉडल ।
- 2:- मेमोरी साइज मेन स्टोरेज साइज के0बी0/एम0 बी0 ।
- 3:- टेप ड्राइव की संख्या और उनके डाटा स्थानान्तरण का रेट ।
- 4:- आन लाइन उपलब्ध स्टोरेज क्षमता और उसका स्थानान्तरण रेट ।
- 5:- प्रिन्टर्स की संख्या और उसकी स्पीड ।
- 6:- कार्ड रीडर्स की संख्या और उनकी स्पीड ।
- 7:- टर्मिनलों की संख्या ।
- 8:- कम्प्यूटर सिस्टम का निर्णय चत स्थान ।

5:- कम्प्यूटर साफ्टवेयर सुविधाएं :-

- 1:- क्या आपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है?
- 2:- क्या स्पूलिंग सुविधा उपलब्ध है ?
- 3:- क्या टाईग/शयरिंग/मल्टी प्रोग्रामिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं?
- 4:- सर्वाधिक फाईल साइज जो सिस्टम के उपयोग से छाँटी जा सकती है?

ग:- कम्प्यूटर उपयोग :-

- 1:- प्रति सप्ताह कम्प्यूटर चलने की पालियों या शिफ्टों की संख्या
- 2:- कम्प्यूटर का औसत अपटाईम ।
- 3:- वाह्य पार्टियों को प्रति सप्ताह कितने घण्टे किराये पर दिया जाता है ।
- 4:- तीन पालियों में चलाने की स्थिति में औसतन उपलब्ध अवशेष समय ।

घ:- कम्प्यूटर सिस्टम की असफलता पर कम्प्यूटर सुविधा प्राप्त होने की वैकल्पिक व्यवस्था:-

- 1:- कम्प्यूटर कहाँ स्थापित है ।
- 2:- कम्प्यूटर मॉडल एवं सम्बन्धित विवरण ।
- 3:- उपलब्ध समय ।
- 4:- कोई पूर्व अनुबन्ध ।

5:- वैकल्पिक व्यवस्था के सिस्टम से अपने कम्प्यूटर की अनुकूलता।

6:- क्या उसे इमूलेटर टेप परिवर्तन आदि के द्वारा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होगी।

3 :- यन्त्रीकरण का पूर्व अनुभव जिसे आप उच्चस्त डाटा व्यवहरण के सम्बन्ध में सम्मानजनक समझते हों:-

क्रमांक	कार्य का विषय	कार्य निस्तारण टर्न की डाटाइण्ट्री प्रोसेसिंग आदि	संस्था जिसके लिये कार्य किया गया था।	अनुमानित मूल्य
1:-				
2:-				
3:-				

च:- डाटा इन्ट्री सुविधाएं:-

- | | | |
|--|------------|---------------|
| 1:- डाटा एण्ट्री मशीनों की संख्या डाटा एण्ट्री | 1:- नियमित | 2:- अन्य साधन |
| 2:- वैरीफिकेशन मशीनों की संख्या | 1:- नियमित | 2:- अन्य साधन |
| 3:- प्रति सप्ताह उपलब्ध पंच आपरेटर। | 1:- नियमित | 2:- अन्य साधन |
| 4:- प्रति सप्ताह उपलब्ध वैरी फायर आपरेटर पालियों | 1:-नियमित | 2:- अन्य साधन |
- की संख्या

हस्ताक्षर निविदादाता -

फर्म की मुहर-

(वित्तीय भाग)

छ:- यन्त्रीकरण कार्य हेतु प्रति परीक्षार्थी दर जिसमें कार्ड की कीमत टेप, सी0डी0 का किराया संसाधनों की कीमत समस्त करों सहित जिसमें सेवाकर भी सम्मिलित हैं :-

(मुख्य परीक्षा के साथ-साथ पूरक परीक्षा हेतु भी दरें दिया जाना अनिवार्य है।)

॥ 1/4d1/2 मुख्य परीक्षा

		हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2012		
कार्य का विवरण		लगभग दो लाख तक के परीक्षार्थियों के कार्य हेतु दर प्रति परीक्षार्थी		
		दर	कर यदि कोई हो	कर सहित कुल दर
1	परीक्षा पूर्व स्तर			
2	परीक्षोत्तर स्तर			
3	फोटो स्कैनिंग			
4	फोटो प्रिंटिंग			
योग-				
150 परीक्षाफल सारांश पुस्तिका अधिकतम 30 पेज।				

		इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2012		
क्रमांक कार्य का विवरण		लगभग एक लाख तोस हजार तक के परीक्षार्थियों के कार्य हेतु दर प्रति परीक्षार्थी		
		दर	कर यदि कोई हा	कर सहित कुल दर
1	परीक्षा पूर्व स्तर			
2	परीक्षोत्तर स्तर			
3	फोटो स्कैनिंग			
4	फोटो प्रिंटिंग			

योग—				
150 परीक्षाफल सारांश पुस्तिका अधिकतम 30 पेज।				

(ख) पूरक परीक्षा

क्रमांक	कार्य का विवरण	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट		
		अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की पूरक परीक्षा के कार्य हेतु दर प्रति परीक्षार्थी			अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की पूरक परीक्षा के कार्य हेतु दर प्रति परीक्षार्थी		
		दर	कर यदि कोई हो	कर सहित कुल दर	दर	कर यदि कोई हो	कर सहित कुल दर
1	पूरक परीक्षा से सम्बन्धित सभी वांछित कार्य।						

नोट:— 1— अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की पूरक परीक्षा के लिए **दर संकलित** रूप में प्रस्तुत की जाय।

2— यह परीक्षा एक अथवा दो विशयों में माह जुलाई/अगस्त में आयोजित की जा सकती है।

3— प्रस्तुत दर के अन्तर्गत फर्म को वह सभी आव” यक रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी जो पूरक परीक्षा के आयोजन हेतु वांछनीय हैं अथवा जिन रिपोर्ट्स को परिशद् के सचिव द्वारा माँगा जाय।

ज:— उत्तर पुस्तकों को मूल्यांकित कराने हेतु मूल्यांकन केन्द्रों पर उत्तर पुस्तकों के आवंटन का कार्य **संकलन-6** भी कम्प्यूटर से तैयार कराना है। इस कार्य को करने हेतु दर जिसमें स्टोरेज मीडिया का किराया एवं ससाधनों की कीमत आदि सम्मिलित हो।

उत्तर पुस्तकों को मूल्यांकित कराने हेतु मूल्यांकन केन्द्रों पर उत्तरपुस्तकों के आवंटन का कार्य

संकलन-6

1:— दर प्रति हजार परीक्षार्थी (कर सहित कुल दर) रु0— पैसा

2:— दर प्रति परीक्षक (कर सहित कुल दर) रु0— पैसा

3:— दर प्रति मूल्यांकन केन्द्र (कर सहित कुल दर) रु0— पैसा

झ:— कोई भी दर जिसमें कार्ड की कीमत विभिन्न संसाधनों की कीमत टेप किराया आदि सम्मिलित हैं।

विचारणीय नहीं है तथा मात्र इसी कारण से निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

हस्ताक्षर निविदादाता –

फर्म की मुहर–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा संचालित वर्ष 2012 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का कार्य यान्त्रिक प्रणाली द्वारा कराये जाने हेतु कार्यों का विवरण:-

कार्य विवरण

(क) परीक्षा पूर्व :-

क्र०सं०	परीक्षा पूर्व कार्य	निश्चित समय
1	प्रत्येक परीक्षार्थी के आवेदन पत्र अथवा संकलित विवरण से डाटा स्थानान्तरण एवं प्रत्येक आवेदन डाटा का मास्टर टेप तैयार करना।	सितम्बर
2	तीन पाट स्टेशनरी पर एक रन में विद्यालयवार तथा केन्द्रवार परीक्षार्थियों की नामावली तैयार करने के साथ कम्प्यूटर उत्पादित अनुक्रमांकों का मुद्रण।	अक्टूबर
3	केन्द्र/विद्यालय तथा अनुक्रमांकों कहाँ से कहाँ तक की सूचियाँ तैयार करना।	नवम्बर
4	विद्यालयवार एवं विषयवार संख्या सूचक चक्र तथा केन्द्रवार व प्रश्न पत्रवार संख्या सूचक चक्र तैयार करना।	नवम्बर
5	प्रयोगात्मक परीक्षकों द्वारा अंक चढ़ाने हेतु प्रयागात्मक विषय के प्रश्नपत्रवार एवार्ड ब्लैक तैयार करना।	नवम्बर/ दिसम्बर
6	विद्यालयवार एवं कोषागारवार परीक्षा शुल्क व प्राप्तांक शुल्क का रजिस्टर तैयार करना।	नवम्बर/ दिसम्बर
7	परीक्षा पूर्व एवं परीक्षोत्तर कार्यावधि के बीच नामावली फाइल की अपडेट करने के पश्चात नामावली सूची का एक अतिरिक्त रन तैयार कर मुद्रित करना।	दिसम्बर/जनवरी
8	लिखित परीक्षा के परीक्षकों द्वारा अंक चढ़ाने हेतु प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्रवार एवार्ड ब्लैक तैयार करना।	जनवरी

ख:- परीक्षोत्तर कार्य :-

क्र०सं०	परीक्षोत्तर कार्य	निश्चित समय
1	एवार्ड ब्लैक एवं अन्य कार्ड कोडों के आधार पर परीक्षाफल तैयार करना।	अप्रैल
2	प्रत्येक परीक्षार्थी की अंक तालिका तैयार करना	मई
3	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र तैयार करना	मई
4	परीक्षार्थियों की श्रेष्ठता सूची तैयार करना।	मई
5	विभिन्न प्रकार के आकड़ों की सूचियाँ तैयार करना।	मई
6	समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ परीक्षाफल की प्रेस सूची एवं जनपदवार सीडी तैयार करना।	मई
7	सचिव द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों के प्रमाण पत्रों को पुर्नमुद्रित करना।	सितम्बर/अक्टूबर

उक्त कार्यों की समय सारिणी पृथक से भी उपलब्ध करायी जायेगी।

टिप्पणी:-

- 1:- लगभग 3 लाख परीक्षार्थियों, हाई स्कूल लगभग 2 लाख एवं इण्टर के लगभग 1.30 लाख तक दोनों परीक्षाओं का कार्य एक ही कम्प्यूटर फर्म को या अलग अलग कम्प्यूटर फर्म को अनुदानित किया जा सकता है।

- 2:- परीक्षा पूर्व कार्यों की अवधि 6 से 7 सप्ताह है तथा परीक्षोत्तर कार्य की अवधि 30 दिन है।
- 3:- उपयुक्त 'क' एवं 'ख' की सूचियों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नांकित रिपोर्ट तथा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य रिपोर्ट भी बिना अतिरिक्त चार्ज के देय हैं।

परीक्षा पूर्व कार्य :-

- 1:- आवेदन डाटा की चेकलिस्ट एवं करैक्शन की चेक लिस्ट।
- 2:- बैचवार समरी रिपोर्ट।
- 3:- अपडेट संशोधन की चेक लिस्ट।
- 4:- केन्द्र/विद्यालय सूची की चेक लिस्ट।
- 5:- केन्द्र/विद्यालय सूची का अंतिम मुद्रण।
- 6:- नामावली।
- 7:- रोल नम्बर रेंज।
- 8:- विद्यालयवार विषय समरी।
- 9:- केन्द्रवार संख्या सूचक चक्र संकेतांक सहित एवं प्रश्नपत्र सूची।
- 10:- लिखित प्रश्नपत्रों के एवार्ड ब्लैक।
- 11:- प्रयोगात्मक विषयों के एवार्ड ब्लैक।
- 12:- एवार्ड ब्लैक के सीरियल रेंज लिखित एवं प्रयोगात्मक।
- 13:- अपडेट नामिनल रोल के मुद्रण व परीक्षा के पूर्व नामावली का सं" गोधन पंजीकृत परीक्षार्थियों संस्थागत/व्यक्तिगत/बालक/बालिका का जनपदवार आंकड़े।
- 14:- शुल्क विवरण की तालिका संस्थागत विद्यालयवार/कोषागारवार।
- 15:- अन्य आवश्यक रिपोर्ट।

परीक्षोत्तर कार्य :-

- 1:- एवार्ड की चैक लिस्ट।
- 2:- एवार्ड ब्लैक के गायब सीरियलों एवं अस्वीकृत सीरियलों की तालिका।
- 3:- बैचवार समरी।
- 4:- संशोधनों की चैक लिस्ट।
- 5:- एडिट/अपडेट सूचियोंवार जे एरर/रिजेक्ट मार्क्स की सूची।
- 6:- सारणीयन पूर्व आकड़ा प्रिटेव सांख्यिकी।
- 7:- एडिट की संख्या के अनुसार अपूर्ण परीक्षाफलों की सूची।
- 8:- सारणीयन पंजिका।
- 9:- परीक्षाफल की प्रेस सूची जनपदवार परीक्षाफल प्रेस सूची सी0 डी0 आवश्यकतानुसार देनी होगी।
- 10:- परीक्षार्थियों की विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठता सूचियाँ।
- 11:- विषयवार अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की सूची।
- 12:- अंक तालिका।
- 13:- प्रमाण पत्र।
- 14:- विभिन्न आंकड़ों
 - 1- विद्यालय गुप/लिंगवार
 - 2- ग्रुप जातिवार
 - 3- विषय ग्रेडवार
 - 4- संस्थागत विद्यालयों की क्वालिटी वेटेज के अनुसार जनपदवार योग्यता सूची।
 - 5- संस्थागत विद्यालयों की सम्पूर्ण भाग की योग्यता।
 - 6- केन्द्रवार परीक्षाफल एक दृष्टि में।
 - 7- जनपदवार परीक्षाफल एक दृष्टि में क्वालिटी वेटेज के अनुसार।
- 15:- रोके गये निरस्त किये गये परीक्षार्थियों की सूची।
- 16:- मुद्रित प्रमाणपत्रों की सूची।
- 17:- शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के बालक/बालिकाओं के आंकड़े।
- 18:- आवश्यकतानुसार वांछित अन्य रिपोर्ट जिसे परिषद उचित समझे फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

भारत— fufonknkrk QeZ dks fuEukafdr 'krksZa ,oa fu;eksa dk vuqikyuu djuk vfuok;Z gS%&

क:- हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम के सम्बन्ध में:-

- 1:- कोई भी ऐसी फर्म निविदा प्रस्तुत न करे यदि उनके पास इन हाउस/वांछित/निर्धारित क्षमता का कम्प्यूटर तथा स्वयं की बैकअप सुविधाएं न हो।
- 2:- सम्पूर्ण सिस्टम फ्लोचार्ट प्रोग्राम एवं सम्बन्धित दस्तावेज परिषद की सम्पत्ति होगी तथा परिषद को सुपुर्द कर देने पड़ेगे।
- 3:- प्रोसेस किये हुए अन्तिम टेप, सी0डी0 परिषद की सम्पत्ति होगी तथा परिषद द्वारा माँगे जाने पर पार्टी परिषद के सुपुर्द कर देगी। इसके लिए परिषद केवल टेप सी0डी0 के मूल्य का भुगतान करेगा। टेप रिकार्ड लेआउट परिषद द्वारा दिये जायेंगे। अन्य विवरण निम्नवत है:-
 - 1- रिकार्ड की लम्बाई - हार्डस्कूल 236 अक्षर, इण्टर 375 अक्षर
 - 2- ब्लाकिंग फ़ैक्टर सहित 10 ब्लॉक साइज 7080
 - 3- डेंसिटी 1600 वी0पी0आई0
 - 4- अनलेविल्ड
 - 5- मोड
- 4:- केवल वही फर्म निविदा दे सकती हैं जिन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षाओं के परीक्षाफल निर्माण सम्बन्धी डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करने का न्यूनतम तीन (03) वर्ष का अनुभव प्राप्त हो तथा इन फर्मों को ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो। यह कार्य केवल उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित फर्मों को ही आवंटित किया जायेगा।
- 5:- परिषद पर चैकलिस्ट को चैक करने तथा संशोधित करने का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। निविदाता फर्म को कार्य करने की निर्धारित समयवधि के अन्दर अभिलेख से डाटा प्रविष्टि की शत- प्रतिशत प्रभावी जाँच कर लिए जाने, उसके पूर्णतया शुद्ध व सही होने तथा गोपनीयता बनाये रखने के प्रति लिखित रूप से वचन देना पड़ेगा।
- 6:- सभी कार्य निविदा के आधार पर करने होंगे एवं सिस्टम से सम्बन्धित किसी कार्य की जिम्मेदारी परिषद पर नहीं होगी।
- 7:- यदि निविदा दाता चाहे तो निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा परिषद की कार्यविधि का सर्वेक्षण कर सकते हैं।
8. इस कार्य का आवंटन केवल वर्ष 2012 की परीक्षाओं के लिये किया जा रहा है। प्रतिवर्ष कार्य का आकलन करने के पश्चात, कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में परिषद की उप समिति चाहे तो वर्ष 2013 एवं 2014 की परीक्षाओं के लिए भी इस अनुबन्ध-पत्र का नवीनीकरण कर सकती है तथा निविदाओं में नवीन शर्तों को जोड़ सकती है। किन्तु इस हेतु फर्मों को पुनः अनुबन्ध-पत्र भरना होगा।
9. किसी भी फर्म से, जिसे परिषद आवश्यक समझे, डाटा प्रोसेसिंग सम्बन्धी साफ्टवेयर प्रोग्राम की दक्षता सत्यापित करने के लिए परिषद उस फर्म से निर्धारित समय के अन्तर्गत एस.टी.आर. की माँग कर सकती है। एस.टी.आर. का अध्ययन करने के उपरान्त यदि एस.टी.आर. में त्रुटियाँ पाई जाती हैं तो सम्बन्धित फर्म की निविदा निरस्त कर दी जाएगी चाहे फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें न्यूनतम ही क्यों न हों। एस.टी.आर. निर्माण सम्बन्धी कोई भी शुल्क परिषद द्वारा देय नहीं होगा।

ख- परीक्षा सम्बन्धी अभिलेखों को प्राप्त करना तथा पंजीकृत मुद्रित सामग्री इनपुट आउटपुट रिपोर्ट एवं अभिलेखों, को परिषद के कार्यालय को पहुँचाना, निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। वह इनपुट रिपोर्ट्स एवं सम्बन्धित अभिलेख परिषद के रामनगर (नैनीताल) स्थित कार्यालय से निःशुल्क ले जायेंगे तथा पहुँचायेंगे।

ग- वित्तीय:-

1- fufonknkrk QeZ dks fufonk ds lkFk /kjksgj /kujkf'k ¼vusZaLVeuh½ ₹0 46,000/- का ØkLM cSad M*k¶V ds :lk esa lfpo] mÜkj[k.M fo|ky;h f'k{kk ifj''kn

jkeuxj] uSuhrky ds inuke ls Iyst djuk gksxkA udn ;k fdlh vU; :Ik esa /kujkf'k Lohdkj ugha dh tk;sxhA

2:— फर्म को कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान 3 किस्तों में निम्नवत् किया जायेगा:—

अ— प्रथम किस्त :— परीक्षा पूर्व कार्यों के संतोषजनक ढंग से पूर्ण हो जाने की स्थिति में किये गये कार्य के बिल प्रस्तुत करने तथा कार्यालय से सत्यापन होने के पश्चात ही प्रोसेसिंग चार्ज के 75 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।

ब— द्वितीय किस्त :— परीक्षोत्तर कार्य के संतोषजनक ढंग से पूर्ण हो जाने की स्थिति में सम्पादित किये गये कार्य के बिल प्रस्तुत करने तथा कार्यालय से सत्यापन के पश्चात ही प्रासेसिंग चार्ज के 75 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।

स:— तृतीय एवं अन्तिम किस्त :—

समस्त कार्यों के संतोषजनक ढंग से सम्पादित हो जाने की रिपोर्ट सम्बन्धित अनुभागों से प्रमाणित हो जाने पर तथा परिषद द्वारा सप्लाई को गयी सादी एवं प्रिन्टेड स्टेशनरी का संतोषजनक लेखा जोखा का विवरण प्रस्तुत कर दिये जाने पर फर्म को अवशेष चार्जों का भुगतान कर दिया जायेगा। किन्तु **कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर भुगतान रोका जा सकता है।**

3:— भुगतान किये जाने वाले सभी बिलों से निर्धारित दर पर आयकर तथा उस पर देय सरचार्ज की कटौती भी नियमानुसार की जायेगी।

4:— कार्य सम्पादन की अवधि में किसी भी समय यदि परिषद के सचिव यह अनुभव करते हैं कि कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता या कार्य कुशलता यथेष्ट नहीं है तो वह फर्म से कार्य वापस ले सकते हैं तथा एक सप्ताह की लिखित नोटिस देकर इस कार्य को अन्य को दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसके मूल्य तथा स्थानापन्न सामग्री के मूल्य को पूर्व स्वीकृत फर्म से वसूल किया जायेगा।

5:— यदि फर्म परीक्षा पूर्व एवं परीक्षोत्तर कार्यों को क्रमशः निश्चित समय सारिणी के अन्तर्गत पूर्ण करने में असफल होती है या सही इनपुटस के परिवर्तन में भूलचूक या दोष परिलक्षित होता है अथवा आउट पुट रिपोर्ट के किसी भी अंश में त्रुटि या अपूर्ण है तो सचिव को अधिकार होगा कि उतनी धनराशि की कटाती उनके भुगतान किये जाने वाली धनराशि से कर सकते हैं जितनी वे उचित समझेंगे।

परिषद अपने स्वयं के स्तर पर अंकों आदि के सही परिवर्तन को नमूने के तौर पर जांच कर सकती है और यदि जांच में किसी गलत परिवर्तन अथवा फर्म के स्तर पर कोई बेईमानी पकड़ी जाती है तो उपर्युक्त शर्तों में बिना किसी पक्षपात के कार्यकर्ता फर्म कानून के अधीन दण्डनीय होगी।

6:— परिषद द्वारा सप्लाई की गई उस स्टेशनरी के मूल्य को आशान्वित ठेकेदार को देना पड़ेगा जिसका उपयोग गलत ढंग से होगा या खराब किया अथवा जो चोरी की जायेगी अथवा जिसका समुचित लेखा जोखा नहीं रखा जायेगा ऐसी स्टेशनरी का सचिव द्वारा संसूचित अन्तिम मूल्य ठेकेदार को देना पड़ेगा।

7:— आशान्वित ठेकेदार कार्यादेश पाने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य के कुल मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत के बराबर जमानत की धनराशि बैंक गारन्टी/एकाउन्ट पे बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद के रूप में कार्य सम्पादित करने हेतु जमा करेंगे। कार्यपूर्ति धरोहर आपूर्ति कर्ताओं/निविदादाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्वों को जिनमें वारंटी सम्बन्धी दायित्व सम्मिलित हैं, पूर्ति करने की अवधि के दिवस से 60 दिन बाद तक वैध हाना आव" यक है। किसी भी दशा में निश्चित की जाने वाली राज्यपाल को देय किसी भी धनराशि की वसूली उक्त जमानत की धनराशि से की जायेगी तथा उसके प्रति सचिव द्वारा लिखित नोटिस दिये जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर ठेकेदार उक्तवत हुई कमी की पूर्ति करेगा ठेकेदार को जमानत की राशि की वापसी ठेके का कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो जाने के छः माह के पश्चात की जायेगी।

8:— ठेकेदार आउटपुट रिपोर्ट में किसी प्रकार की भूल चूक अपूर्णता अथवा दोष के कारण हुई हानि के प्रति राज्यपाल तथा परिषद को पूर्णतया क्षतिपूर्ति करेगा।

9:— किसी अन्य उपाय के प्रति बिना किसी पक्षपात के उत्तराखण्ड शासन के शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के निर्णय के प्रति अन्तिम रूप से लिया गया निर्णय ठेकेदार को स्वीकार होगा। राज्यपाल महोदय ठेकेदार से राजस्व वसूली के रूप में अवशेष सम्बन्धित सभी देय धनराशि की वसूली कर सकते हैं।

घ:— सामान्य धार्त:—

1:- फर्म को निविदा देने से पूर्व अपनी क्षमता एवं साधनों की जांच कर लेना चाहिये तथा मुख्यतः उस न्यूनतम परीक्षार्थी संख्या एवं उसका आवंटन का उल्लेख कराना चाहिए जिसके परीक्षाफल को वे कुशलता पूर्वक सही एवं बिना गलती किये निर्धारित समय सीमा में तैयार करने की क्षमता रखते हैं।

2:- फर्म केवल हाईस्कूल परीक्षा या इण्टर परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं के कार्य को करने हेतु परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या तथा कार्य संपादन की अपनी योग्य क्षमता एवं उपलब्ध साधनों का उल्लेख करते हुए निविदा दे सकते हैं।

3:- सौंपे गये सभी कार्यों को फर्म द्वारा **निर्धारित समय सारिणी** के अनुसार ही पूर्ण करना पड़ेगा।

4:- फर्म परिषद द्वारा सप्लाई की गयी स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री का उपयोग सावधानी से तथा उसी कार्य हेतु करेगी जिसके लिए वह सप्लाई की गयी है। वह सप्लाई की गयी सामग्री का सही ढंग से लेखा जोखा रखेगी और उसे कार्य समाप्ति के उपरान्त सचिव को प्रेषित करेगी। प्रयुक्त स्टेशनरी एवं अप्रयुक्त तथा खराब हुए अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र परिषद के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा परिषद को लौटा दिये जायेंगे। परिषद द्वारा प्रदत्त समस्त इनपुट सामग्री अभिलेख भी ठेकेदार नियमित बीजक के साथ वापस करेंगे।

5:- यदि सचिव के विचार से कोई कार्य अनुचित/दोषपूर्ण या बिना कार्य कुशलता से किया गया होगा तो ठेकेदार को सचिव द्वारा निर्देशित किये जाने पर अपने मूल्य पर उचित सामग्री एवं कुशलता पूर्वक कार्य पुनः सम्पादित करेगा।

6:- निविदादाताओं एवं आशान्वित ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में विवादग्रस्त भिन्नता जो पार्टियों के मध्य किसी समय उठती है या कोई व्यक्ति उनके प्रति दावा करता है या इस निविदा के सम्बन्ध में या उसके लिये जिसके प्रति स्पष्ट रूप से ऊपर निर्णय का उल्लेख कर दिया गया है, निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति के पास निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जायेगा। यदि पंच जिसे विवाद मूल रूप में संदर्भित किया गया है। स्थानान्तरित हो जाता है या पद रिक्त करता है अथवा किसी भी कारण से कार्य में असमर्थ होता है तो शिक्षा निदेशक स्वयं पंच का कार्य करेंगे अथवा अन्य व्यक्तियों को पंच नियुक्त करेंगे। ऐसा व्यक्ति पूर्व नियुक्त एवं पंच द्वारा किये गये कार्य से आगे की कार्यवाही सम्पादित करेगा इस ठेके को यह भी एक शर्त है कि उपर्युक्त के अनुसार नियुक्त व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति पंच का कार्य सम्पन्न नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश यह सम्भव नहीं है तो विवाद पंच को संदर्भित ही नहीं किया जायेगा। प्रत्येक मामलों में जहां विवादित दावे की धनराशि पचास हजार रुपये और ऊपर है पंच निर्णय का कारण बतायेगा। निविदा स्वीकृति के पश्चात उक्त समझौते की धाराएं संविदा की शर्तों के रूप में जोड़ दी जायेंगी। निर्णय को न मानने वाली पार्टी विवाद/विवादों को पंच को संदर्भित किये जाने हेतु प्रत्येक विवाद के सम्बन्ध में माँगी जाने वाली धनराशि सहित स्पष्ट करेगी।

आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के प्राविधानों या किसी वैधानिक संशोधन या उसके कार्यान्वयन तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियम के निर्णय की कार्यवाही में लागू होंगे। आर्बिट्रेटर समय-समय पर पार्टियों की सहमति से निर्णय देंगे तथा उसे पकाशित करने हेतु समय को बढ़ा सकते हैं। न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) में स्थित होगा।

7:- चयनित ठेकेदार को रुपये 100-00 (रुपये एक सौ) मात्र के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा। इस निविदा की सभी शर्तें तथा कार्यादेश किये जाने के समय उचित समझी गई अन्य शर्तें भी ठेके की शर्तें होंगी।

उपर्युक्त विवरणों सहित सील बन्द लिफाफे में परिषदीय परीक्षा वर्ष 2012 हेतु डाटा प्रोसेसिंग हेतु निविदा अंकित कर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, (नैनीताल) के कार्यालय में निविदा दिनांक 08 सितम्बर, 2011 को 12.00 बजे मध्याह्न तक अथवा इस तिथि के पूर्व निश्चित रूप से पहुँच जानी चाहिये। इस निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त हुई निविदा/निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेंगी तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेंगी। परिषद कार्यालय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है। किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।

निविदा का तकनीकी भाग **दिनांक 08 सितम्बर, 2011 को 1.00 बजे अपराह्न** समस्त उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। तदोपरान्त वैध पाई गई फर्मों का वित्तीय भाग खोला जायेगा।

परिषद के सचिव किसी भी टैण्डर को बिना कारण बताये सुधारने/निरस्त करने या स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

नोट:- तकनीकी एवं वित्तीय भाग के लिफाफे अलग-अलग सील बन्द होंगे, दोनों लिफाफों को एक बड लिफाफे में रखा जायेगा। इस बड़े लिफाफे को भी मुहरबन्द किया जायेगा।



निविदादाता के हस्ताक्षर-
फर्म की मुहर-
परिषद्

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा

रामनगर (नैनीताल)